भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1893

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

वैकल्पिक ईंधन वाहनों को अपनाना

†1893. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डीजल से इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में संक्रमण के लिए प्रोत्साहन के साथ-साथ कड़े मानदंडों पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देशभर में डीजल वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का समयबद्ध तरीके से डीजल वाहनों के उपयोग को समाप्त अथवा प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 889 (अ), दिनांक 16 सितंबर, 2016 के तहत ईंधन और वाहनों के लिए बीएस-IV मानकों को अधिसूचित किया, जो बीएस-VI मानकों से आगे का है। सरकार ने सा.का.नि. 27(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2024 के तहत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए ई20 को मोनो ईंधन के रूप में भी अधिसूचित किया।

इसके अलावा, सीएनजी, बायो-सीएनजी, एलएनजी, ईवी, जैव ईंधन आदि जैसे गैर-जीवाश्म ईंधनों से चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने गैसोलीन, फ्लेक्स-फ्यूल, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), गैसोलीन के साथ मीथनॉल के मिश्रण, दोहरे ईंधन (डूएल फ्यूल), हाइड्रोजन आदि के साथ इथेनॉल के मिश्रण के संबंध में मास उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स (पीएलआई ऑटो) के लिए उत्पादन-से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में चैंपियन ओईएम श्रेणी के आवेदकों को उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक (एएटी) वाहनों की निर्धारित (वृद्धिशील) बिक्री पर 13% से 18% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और कंपोनेंट चैंपियन श्रेणी के आवेदकों को एएटी कंपोनेंट्स (बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के एएटी कंपोनेंट्स के लिए अतिरिक्त 5% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है) की निर्धारित बिक्री पर 7.2% से 13% तक का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस

योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) अनिवार्य है, जिससे ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला में भारत में विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है।

सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहल की हैं।

(i) का.आ. 5333(अ), दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 द्वारा जारी अधिसूचना में बैटरी चालित परिवहन वाहनों को परमिट की आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

(ii) सा.का.नि. 525 (अ), दिनांक 2 अगस्त, 2021 के तहत जारी अधिसूचना में बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने और नए पंजीकरण चिह्न के असाइनमेंट के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी है।

(iii) सा.का.नि. 302 (अ), दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के तहत किसी भी परमिट शुल्क के भुगतान के बिना बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी करने के लिए अधिसूचना जारी की गई।

(iv) सा.का.नि.167 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2019 के तहत वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट में सुविधा के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

(v) दिनांक 7 अगस्त, 2018 को जारी सा.का.नि.749 (अ) के तहत अधिसूचना में परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में तथा अन्य सभी मामलों में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया गया है।

(vi) इसके अलावा, बिना बैटरी वाले दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त 2020 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****